Join करें हमारे Group को
TELEGRAM

बजट 2019-2020 के

बजट-पत्रों का संक्षिप्त परिचय

1. वित्त मंत्री के बजट भाषण के अलावा संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट दस्तावेजों की सूची, निम्नानुसार है:

(क) वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस)

(ख) अनुदान-मांगें (डीजी)

(ग) वित्त विधेयक

(घ) एफआरबीएम अधिनियम के तहत अधिदेशित विवरण

 (i) वृहत-आर्थिक रूपरेखा विवरण

 (ii) मध्यावधिक राजकोषीय नीतिगत सह राजकोषीय नीतिगत कार्य योजना विवरण

(ङ) व्यय बजट

(च) प्राप्ति बजट

(छ) व्यय की रूपरेखा

(ज) बजट एक नजर में

(झ) वित्त विधेयक में किए गए उपबंधों का व्याख्यात्मक ज्ञापन

(ञ) परिणाम बजट

SarkariHelp.com
Taiyari Ki Puri Jankari Hindi Me

क्रम सं. क, ख, ग के समक्ष उल्लिखित दस्तावेज क्रमशः भारत के संविधान के अनुच्छेद 112, 113, और 110(क) द्वारा अधिदेशित हैं, जबकि क्रम सं. घ (i) और (ii) के समक्ष दर्शित दस्तावेज राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत किए जाते हैं। क्र. सं. ङ, च, छ, ज, झ और ञ पर अन्य दस्तावेज़ व्याख्यात्मक विवरणों के स्वरूप के हैं जो त्वरित अथवा प्रासंगिक संदर्भों हेतु प्रयोक्ता-अनुकूल फार्मेट में वर्णनात्मक होते हुए अधिदेशित दस्तावेज़ों के सहायक हैं। परिणाम बजट विभिन्न केन्द्रीय सेक्टर की स्कीमों तथा केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिए उनके सामने मापनीय संसूचकों और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए विनिर्दिष्ट लक्ष्यों के साथ स्पष्ट रूप से परिभाषित उत्पादन और परिणामों के साथ होगा। इन सभी दस्तावेजों का हिन्दी पाठ भी संसद में प्रस्तुत किया जाता है। सभी दस्तावेजों तक अधिक दक्ष और प्रयोक्ता-अनुकूल पहुँच बनाने की दृष्टि से हाईपरलिंक सहित वैब पाठ *http://indiabudget.gov.in* पर उपलब्ध है।

2.1 पैरा 1 में सूचीबद्ध बजट दस्तावेजों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

क. वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस)

वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस) अनुच्छेद 112 के तहत यथा प्रदत्त एक दस्तावेज है जिसमें वर्ष

SarkariHelp.com
Taiyari Ki Puri Jankari Hindi Me

2018-19 के अनुमानों तथा साथ ही वर्ष 2017-18 के वास्तविक व्यय के सम्बन्ध में वर्ष 2019-20 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों को दिखाया जाता है। प्राप्तियों तथा संवितरणों को तीन भागों में दिखाया जाता है जिसमें सरकार के लेखाओं को रखा जाता है अर्थात् (i) भारत की संचित निधि, (ii) भारत की आकस्मिकता निधि, और (iii) लोक लेखा। वार्षिक वित्तीय विवरण में राजस्व लेखे पर व्यय को अन्य लेखाओं के व्यय से पृथक रखा जाता है जैसाकि भारत के संविधान में अधिदेशित है। इसलिए संघ सरकार के बजट में राजस्व बजट तथा पूंजी बजट शामिल है। वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल प्राप्तियों और व्यय के अनुमान, वापसियों और वसूलियों को घटाकर निवल व्यय के लिए है। केन्द्र सरकार के वित्त लेखाओं में भी व्यय इसी तरह दर्शाया जाता है।

संचित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक-लेखे का महत्त्व तथा राजस्व और पूंजी भाग की महत्वपूर्ण विशेषताएं संक्षेप में इस प्रकार हैं:

(i) भारत की संचित निधि (सीएफआई) की विद्यमानता संविधान के अनुच्छेद 266 से उद्भूत है। सरकार को प्राप्त होने वाले सभी राजस्व, सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋण और उसके द्वारा दिए गए ऋणों की वसूलियों से प्राप्त धनराशियां मिल कर "संचित निधि" का रूप लेती हैं। सरकार का पूरा खर्च भारत की संचित निधि से किया जाता है और संसद की स्वीकृति के बिना, इस निधि में से कोई भी रकम नहीं निकाली जा सकती।

(ii) संविधान का अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि का अधिकार प्रदान करता है। यह निधि अग्रदाय के रूप में राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहती है और इससे सरकार को किसी भी तत्काल अप्रत्याशित व्यय को, संसद की स्वीकृति मिलने तक, पूरा करने में सहुलियत होती है। ऐसे अप्रत्याशित व्यय के लिए संसद की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ली जाती है और ऐसे कार्योत्तर अनुमोदन के बाद, जितनी राशि आकस्मिकता निधि से निकाली जाती है, उतनी राशि संचित निधि से आहरित करके आकस्मिकता निधि की भरपाई कर दी जाती है। संसद द्वारा यथा-अधिकृत आकस्मिकता निधि की कुल राशि, इस समय, ₹ 500 करोड़ है।

(iii) सरकार द्वारा ट्रस्ट में धारित धनराशियों को लोक लेखा में रखा जाता है। लोक लेखा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत अस्तित्व में है। भविष्य निधियों; लघु बचत संग्रहणों, सड़क विकास, प्राथमिक शिक्षा जैसे विशिष्ट उद्देश्यों पर किए गए व्यय को छोड़कर, सरकार की आय; अन्य प्रारक्षित/विशेष निधियां आदि लोक लेखा में रखी धनराशि के उदाहरण हैं। जो लोक लेखा निधियां सरकार से सम्बन्धित नहीं हैं और जिनका अन्तिम रूप से जमा करने वाले व्यक्तियों तथा प्राधिकारियों को वापस भुगतान करना पड़ता है, संसद की स्वीकृति ऐसे आहरणों के लिए अपेक्षित नहीं होती है। संसद से अनुमोदन तब लिया जाता है जब राशियां संचित निधि से आहरित की जाती हैं और विशिष्ट उद्देश्यों पर व्यय के लिए इन्हें लोक लेखा में रखा जाता है। विशेष उद्देश्य पर वास्तविक व्यय को विशिष्ट उद्देश्यों पर व्यय की पूर्ति हेतु लोक लेखा से आहरण के लिए संसद की स्वीकृति हेतु पुनः प्रस्तुत किया जाता है।

Join करें हमारे Group को
TELEGRAM

SarkariHelp.com
Taiyari Ki Puri Jankari Hindi Me

केंद्रीय बजट का राजस्व संबंधी भाग, जिसे संदर्भ सुलभता हेतु नीचे (iv) में राजस्व बजट कहा गया है और पूंजी संबंधी भाग, जिसे संदर्भ की सुलभता के लिए नीचे (v) में पूंजीगत बजट कहा गया है; परिसीमित किया जा सकता है।

(iv) राजस्व बजट में सरकार की राजस्व (कर-राजस्व और अन्य गैर-कर राजस्व) प्राप्तियां तथा इन राजस्वों से पूरा किया जाने वाला व्यय शामिल होता है। कर-राजस्व में संघ द्वारा लगाए गए करों और अन्य शुल्कों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां शामिल होती हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाए गए राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों में वित्त विधेयक में किए गए कराधान संबंधी विभिन्न प्रस्तावों के प्रभाव पर विचार किया जाता है। सरकार की अन्य गैर-कर प्राप्तियों में मुख्यतः उसके द्वारा निवेशित पूंजी पर ब्याज और लाभांश, तथा सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क तथा अन्य प्राप्तियां शामिल होती हैं। राजस्व व्यय, सरकारी विभागों के सामान्य संचालन और विभिन्न सेवाएं प्रदान करने, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान करने, आर्थिक सहायता, सहायता अनुदान आदि पर होता है। मोटे तौर पर, ऐसा व्यय जिससे भारत सरकार हेतु किसी परिसम्पत्ति का सृजन नहीं होता, राजस्व व्यय माना जाता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य पक्षों को दिए गए सभी अनुदान भी राजस्व व्यय माने जाते हैं, यद्यपि, उनमें से कुछ अनुदानों का प्रयोग परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए किया जा सकता है।

(v) पूंजी बजट में पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत भुगतान शामिल होते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में सरकार द्वारा जनता से लिए गए ऋण (जिन्हें बाजार ऋण कहा जाता है), राजकोषीय हुंडियों की बिक्री के जरिए सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य पक्षों से लिए जाने वाले ऋण, विदेशी सरकारों और संस्थाओं से प्राप्त ऋण, विनिवेश प्राप्तियाँ और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों और अन्य पक्षों को दिए गए ऋणों की वसूलियां शामिल हैं। पूंजीगत भुगतान में जमीन, इमारतों, मशीनों, उपकरणों जैसी परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण पर किया जाने वाला पूंजी व्यय और शेयरों आदि में लगाई जाने वाली पूंजी तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों, सरकारी कम्पनियों, निगमों और अन्य पार्टियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

(vi) लेखाओं का वर्गीकरण

- संविधान के अनुच्छेद 150 के अन्तर्गत विहित लेखाकरण वर्गीकरण की प्रणाली के अनुसार, वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राप्तियों और खर्चों तथा अनुदान-मांगों में व्यय के अनुमान दिखाए जाते हैं।

- वार्षिक वित्तीय विवरण में भारत की संचित निधि पर भारित कतिपय संवितरणों को अलग से दिखाया जाता है। संविधान में व्यय की विभिन्न मदों जैसे राष्ट्रपति की परिलब्धियां, राज्य सभा के सभापति और उप सभापति तथा लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और केन्द्रीय सतर्कता आयोग

Join करें हमारे Group को
TELEGRAM
SarkariHelp.com
Taiyari Ki Puri Jankari Hindi Me

Join करें हमारे Group को TELEGRAM

SarkariHelp.com
Taiyari Ki Puri Jankari Hindi Me

के वेतन, भत्ते और पेंशन, सरकार द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज और उनकी अदायगियों और अदालती आदेशों को पूरा करने हेतु की गई अदायगियां और व्यय मदें भारत की संचित निधि पर भारित होंगी और इनके लिए लोकसभा की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है।

ख. अनुदान-मांगें

(i) संविधान के अनुच्छेद 113 में अधिदेशित है कि वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित भारत की संचित निधि से किए जाने वाले तथा लोक सभा की स्वीकृति के लिए अपेक्षित व्यय के अनुमानों को अनुदान-मांगों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान-मांगें वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ लोक सभा में प्रस्तुत की जाती हैं। साधारणतः प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के संबंध में अनुदान की एक मांग प्रस्तुत की जाती है। तथापि, किसी मंत्रालय या विभाग की एक से अधिक मांगें व्यय के स्वरूप के आधार पर प्रस्तुत की जा सकती हैं। विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक अलग मांग प्रस्तुत की जाती है। बजट 2019-20 में 100 अनुदान-मांगें हैं। प्रत्येक मांग में (i) 'स्वीकृत' और 'भारित' व्यय (ii) 'राजस्व' और 'पूंजी' व्यय और (iii) व्यय की कुल राशि जिसके लिए मांग प्रस्तुत की जाती है, के सकल आधार पर जोड़ दिखाए जाते हैं। इसके बाद विभिन्न मुख्य लेखा शीर्षों के अन्तर्गत व्यय के अनुमान दिए जाते हैं। वसूलियों की राशियां भी दर्शाई जाती हैं। सकल राशि से वसूलियां घटाने के बाद व्यय की निवल राशि भी दर्शाई जाती हैं। इस दस्तावेज के आरम्भ में अनुदान-मांगों का सारांश दिया जाता है, जबकि इसके अंत में, 'नई सेवा' अथवा 'नई सेवा लिखतों' जैसे कि नई कम्पनी, उपक्रम अथवा नई योजना आदि का निरूपण, यदि कोई हो, दिया जाता है।

(ii) प्रायः प्रत्येक मांग में किसी सेवा के लिए अपेक्षित कुल प्रावधान शामिल होता है अर्थात् इसमें राजस्व व्यय, पूंजी व्यय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को दिए जाने वाले अनुदान और उस सेवा के सम्बन्ध में ऋणों और अग्रिमों के लिए भी किया गया प्रावधान शामिल होता है। जिन मामलों में किसी सेवा से संबद्ध व्यवस्था पूर्ण रूप से भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के लिए होती है, जैसे ब्याज की अदायगियां (अनुदान की मांग सं. 37) तो उस व्यय के लिए मांग से बिल्कुल भिन्न एक अलग विनियोग प्रस्तुत किया जाता है और उस पर लोक सभा की स्वीकृति लिए जाने की आवश्यकता नहीं होती। किन्तु किसी ऐसे सेवा व्यय के मामले में, जिसमें 'स्वीकृत' एवं 'भारित' दोनों मदें शामिल हों, उस सेवा के लिए प्रस्तुत की जाने वाली मांग में भारित व्यय भी शामिल कर लिया जाता है लेकिन उस मांग में 'स्वीकृत' और 'भारित' व्यवस्थाएं अलग-अलग दिखाई जाती हैं।

ग. वित्त विधेयक

संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते समय, संविधान के अनुच्छेद 110(1)(क) की अपेक्षा को पूरा करने के लिए वित्त विधेयक भी प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें बजट में प्रस्तावित कर लगाने, हटाने, माफ करने, उनके रद्दोबदल अथवा विनियमन का ब्यौरा दिया जाता है। इसमें बजट संबंधी अन्य उपबंध भी होते हैं जिन्हें धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसाकि संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित है, वित्त विधेयक एक धन विधेयक है।

SarkariHelp.com
Taiyari Ki Puri Jankari Hindi Me

घ. एफआरबीएम अधिनियम के तहत अधिदेशित विवरण

i. वृहत्-आर्थिक रूपरेखा विवरण

वृहत-आर्थिक रूपरेखा विवरण, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3(5) और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अंतर्निहित पूर्वानुमानों के विवरण सहित अर्थव्यवस्था की वृद्धि की संभावनाओं का मूल्यांकन शामिल है। इसमें सकल घरेलू उत्पाद विकास दर, केन्द्र सरकार का राजकोषीय संतुलन और अर्थव्यवस्था के वैदेशिक क्षेत्र संतुलन से संबंधित अनुमान भी शामिल होते हैं।

ii. मध्यावधिक राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीतिगत कार्य योजना विवरण

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3 के तहत मध्यावधि राजकोषीय नीतिगत विवरण प्रस्तुत किया जाता है। मध्यावधि राजकोषीय नीतिगत विवरण में सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में बाजार मूल्यों पर छह विशेष राजकोषीय संकेतकों अर्थात् (i) राजकोषीय घाटा (ii) राजस्व घाटा (iii) प्राथमिक घाटा (iv) कर राजस्व (v) कर-भिन्न राजस्व और (vi) केन्द्र सरकार का ऋण। इस विवरण में अंतर्निहित पूर्वानुमानों, राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन से संबंधित निरन्तरता का मूल्याकंन और अर्जक आस्तियों के सृजन के लिए बाजार उधारों सहित पूँजी प्राप्तियों के उपयोग को शामिल किया जाता है। इसमें मौजूदा वित्त वर्ष के लिए कराधान, व्यय, उधार लेने और निवेश करने, प्रशासित मूल्य निर्धारण, उधारों और गारंटियों से संबंधित सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं की रूपरेखा भी दी जाती है। इस विवरण में यह बताया जाता है कि मौजूदा राजकोषीय नीतियां किस प्रकार मजबूत राजकोषीय प्रबंधन सिद्धान्तों के अनुरूप हैं तथा महत्वपूर्ण राजकोषीय उपायों में आए किसी बड़े विचलन का औचित्य भी दिया जाता है।

2.2 व्याख्यात्मक दस्तावेज:

बजट की प्रमुख विशेषताओं को अधिक व्यापक रूप से समझना आसान बनाने के लिए, कुछ अन्य व्याख्यात्मक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

ङ. व्यय बजट

किसी स्कीम या कार्यक्रम के लिए की गई व्यवस्थाएं किसी अनुदान मांग के राजस्व और पूंजी भागों में कई मुख्य शीर्षों में हो सकती हैं। व्यय बजट खंड में, किसी स्कीम/कार्यक्रम के लिए किए गए अनुमानों को इकट्ठा किया जाता है और राजस्व एवं पूंजी द्वारा निवल आधार पर एक स्थान पर दर्शाया जाता है। व्यय बजट में विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के लिए प्रस्तावित व्यय के अन्तर्निहित उद्देश्यों को समझने के लिए, इस खंड में समुचित व्याख्यात्मक टिप्पणियां शामिल की गई हैं।

च. प्राप्ति बजट

वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित प्राप्तियों के अनुमानों का "प्राप्ति बजट" प्रलेख में पुन: विश्लेषण किया जाता है। इस प्रलेख में कर एवं कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों और पूंजी प्राप्तियों का ब्यौरा होता है और यह अनुमानों को स्पष्ट करता है। इस प्रलेख में, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध नियम, 2004 के तहत यथा अधिदेशित कर राजस्वों और कर-भिन्न राजस्वों की बकाया राशियों का उल्लेख भी किया जाता है। प्राप्ति बजट में घाटे के संकेतकों सहित प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों, राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.)

SarkariHelp.com
Taiyari Ki Puri Jankari Hindi Me

से संबंधित विवरणी, देयता विवरणी, सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियों से सम्बन्धित विवरण, परिसम्पत्ति विवरणी और विदेशी सहायता के ब्यौरे भी शामिल होते हैं। इसमें केंद्रीय कर प्रणाली के तहत कर प्रोत्साहनों के प्रभाव का विवरण भी शामिल है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा यथा प्रस्तावित कर प्रोत्साहनों के राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव को सूचीबद्ध करने के प्रयास किया जाता है। यह दस्तावेज विगत में तेल और उर्वरकों की सब्सिडी के बदले जारी की गई प्रतिभूतियों (बंध पत्रों) के कारण सरकार की देयताओं को भी दर्शाता है। इसे पहले "परित्यक्त राजस्वों का विवरण" कहा जाता था और 2015-16 में पृथक विवरण के रूप में प्रकाशित किया गया था। इसे 2016-17 से बजट प्राप्तियों में आमेलित किया गया है।

छ. व्यय की रूपरेखा

(i) पूर्व में इस दस्तावेज का शीर्षक व्यय बजट खंड-1 था। आयोजना-आयोजना-भिन्न के विलय की तर्ज पर इसे नया शीर्षक दिया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के व्यय और मांगों में कतिपय अन्य मदों पर व्यय का कुल योग दिया जाता है।

(ii) वर्तमान लेखाकरण तथा बजट प्रक्रियाओं के अन्तर्गत, कतिपय वर्ग की प्राप्तियों, जैसे एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को की गई अदायगी और पूंजी परियोजनाओं या योजनाओं से होने वाली आय को, उस विभाग के खर्च में से, जिसे यह रकम मिलेगी, घटा दिया जाता है। जबकि अनुदान-मांगों में व्यय के अनुमान सकल व्यय के अनुमान होते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए जाने वाले व्यय के अनुमान, वसूलियों को ध्यान में रखते हुए निवल व्यय के अनुमान होते हैं। व्यय बजट दस्तावेज में कतिपय अन्य शोधन भी किए गए हैं जैसे संबंधित प्राप्तियों का व्यय घटाना ताकि प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों को बढ़ने से रोका जा सके। इस दस्तावेज में संक्षिप्त कारणों के साथ बजट अनुमान 2018-19 और संशोधित अनुमान 2018-19 के बीच बड़े अन्तरों के साथ-साथ सं.अ. 2018-19 और ब.अ. 2019-20 के बीच अन्तर को दर्शाने वाला निवल शामिल है। अन्तर्राष्ट्रीय निकायों को किए गए अंशदानों और विभिन्न सरकारी विभागों की स्थापना सम्बन्धी अनुमानित संख्या तथा उनके लिए किए गए प्रावधानों को पृथक विवरणों में दर्शाया जाता है। इस प्रलेख में (i) लिंग आधारित बजटिंग (ii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए आवंटन तथा (iii) बाल कल्याण योजनाओं को दर्शाने वाले अलग-अलग विवरण भी शामिल किए जाते हैं। इसमें इनसे संबंधित विवरण भी हैं। वे हैं (i) स्वायत्तशासी निकायों के संबंध में व्यय का ब्यौरा और बजट अनुमान (ii) लोक लेखा में कतिपय विशेष निधियों का ब्यौरा।

(iii) योजना व्यय

केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय में योजना व्यय का अनुपात काफी अधिक होता है। विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान-मांगों में, योजना व्यय को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम दो अलग-2 श्रेणियों में दर्शाया गया है। व्यय की रूपरेखा में प्रत्येक मंत्रालय के कुल आयोजना खर्च को विभिन्न श्रेणियों अर्थात् केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम, स्थापना, अन्य केन्द्रीय व्यय, राज्यों को अन्तरण आदि और अधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए बजट में की गई खर्च की व्यवस्था को स्पष्ट करके दिखाया गया है। इस दस्तावेज में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को दर्शाने वाला विवरण भी शामिल है।

(iv) सरकारी क्षेत्र के उद्यम

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यचालन पर एक ब्यौरेवार रिपोर्ट लोक उद्यम विभाग द्वारा अलग से प्रकाशित "सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की समीक्षा" नामक पुस्तक में दी जाती है। विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों के अधीन उद्यमों के कार्यचालन की रिपोर्ट विभिन्न मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों में भी दी जाती है, जो संसद सदस्यों को अलग से परिचालित की जाती है। प्रत्येक सरकारी कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखे अलग से संसद के सभा पटल पर रखे जाते हैं। इसके अलावा, विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यचालन पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी संसद के समक्ष रखी जाती है।

(v) वाणिज्यिक विभाग

रेलवे, सरकार द्वारा विभागीय रूप से चलाया जाने वाला प्रमुख वाणिज्यिक उपक्रम है। रेल मंत्रालय का बजट और रेल व्यय से संबंधित अनुदान-मांगें वित्त वर्ष 2017-18 से केन्द्रीय बजट के साथ संसद में प्रस्तुत की जाती हैं। व्यय रूपरेखा में रेलवे से संबंधित अन्य हितों का ब्यौरा तथा रेलवे की अनुदान मांगों की सभी मुख्य पहलुओं के साथ रेलवे का पृथक भाग होता है। रेलवे की कुल प्राप्तियों और व्यय को भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल किया जाता है। विवरण में विभागीय रूप से चलाए जाने वाले वाणिज्यिक उपक्रमों का ब्यौरा दर्शाया गया है। वास्तविक कार्य प्रणाली को प्रदर्शित करने और प्राप्तियों अथवा व्यय दोनों को न बढ़ाने के लिए, व्यय रूपरेखा और व्यय बजट में दिखाया गया व्यय, विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की प्राप्तियों को घटाकर दिखाया जाता है।

(vi) वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाई गई रक्षा मंत्रालय की प्राप्तियों और व्यय को रक्षा सेवाओं के अनुमानों के प्रलेख में अधिक विस्तृत रूप से बताया जाता है, जो रक्षा मंत्रालय की ब्यौरेवार अनुदानों की मांगों के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं।

(vii) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अलावा, निकायों को दिए गए अनुदानों के ब्यौरे गैर-सरकारी निकायों को अदा किए गए सहायता अनुदानों के विवरणों में दिए जाते हैं, जो विभिन्न मंत्रालयों के ब्यौरेवार अनुदानों की मांगों के साथ संलग्न होते हैं।

ज. बजट एक नजर में

(i) इस दस्तावेज में, कर-राजस्व और अन्य प्राप्तियों के विस्तृत ब्यौरे के साथ-साथ, प्राप्तियों और खर्चों का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। इसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरित किए गए साधनों का ब्यौरा भी दिया जाता है। इस पुस्तक में केन्द्रीय सरकार का राजस्व घाटा, मूल सकल घाटा और सकल राजकोषीय घाटा भी दिखाया जाता है। सरकार की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में अधिक राजस्व व्यय सरकार का राजस्व घाटा होता है। एक ओर, राजस्व, पूंजी और अदायगियों को घटाकर ऋणों के द्वारा सरकार के कुल व्यय और दूसरी ओर, सरकार की राजस्व प्राप्तियां और पूंजी, जिनका स्वरूप उधार का नहीं होता परन्तु जो अन्तिम रूप से सरकार को प्राप्त होती हैं, के बीच का अन्तर सकल राजकोषीय घाटा होता है। मूल सकल घाटा,

सकल ब्याज अदायगियों को घटाकर, सकल राजकोषीय घाटे द्वारा मापा जाता है। बजट पत्रों में "सकल राजकोषीय घाटे" और "सकल मूल घाटे" को क्रमशः "राजकोषीय घाटे" और "मूल घाटे" के संक्षिप्त रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

(ii) इस दस्तावेज में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरित कुल संसाधनों की मात्रा एवं स्वरूप (केन्द्रीय करों, अनुदानों/ऋण में हिस्सा) को सूचित करने वाला विवरण भी शामिल होता है। करों, सहायता अनुदानों और ऋणों के रूप में अंतरित की जाने वाली राशियों का ब्यौरा व्यय रूपरेखा (विवरण सं. 18) में दिया जाता है। राज्यों को अधिकांश अनुदान तथा ऋण, वित्त मंत्रालय द्वारा संवितरित किए जाते हैं और इन्हें "राज्यों को अंतरण" मांग में तथा दिल्ली को अंतरण मांग एवं पुंडुचेरी को अंतरण" नामक मांग में शामिल किया जाता है। अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी अनुदान और ऋण उनकी संबंधित मांगों में दर्शाए जाते हैं।

केन्द्रीय सरकार का बजट मात्र प्राप्तियों और व्यय का विवरण नहीं है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात, यह सरकारी नीति का एक महत्वपूर्ण प्रलेख भी बन गया है। बजट देश की अर्थव्यवस्था को प्रतिबिम्बित करता है और उसे स्वरूप प्रदान करता है और बदले में ही देश की अर्थव्यवस्था के अनुरूप उसका निर्धारण किया जाता है। सरकारी प्राप्तियों में बढ़ोतरी और व्यय का अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर प्रभाव के बेहतर मूल्यांकन के लिए यह जरूरी है कि उन्हें कतिपय आर्थिक महत्व के सन्दर्भ में समूहबद्ध किया जाए, उदाहरणार्थ पूंजी-निर्माण के लिए अलग से कितनी धनराशि रखी गयी है, सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कितना खर्च किया गया है, सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में अन्य क्षेत्रों को अनुदानों, ऋणों आदि के रूप में कितना धन अंतरित किया गया है। यह विश्लेषण, केंद्रीय सरकार के बजट के आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण प्रलेख में किया गया है, जो वित्त मंत्रालय द्वारा अलग से तैयार किया जाता है।

झ. वित्त विधेयक के उपबंधों की व्याख्या करने वाला ज्ञापन

वित्त विधेयक में निहित कराधान संबंधी प्रस्ताव आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए वित्त विधेयक के उपबंधों का व्याख्यात्मक ज्ञापन नामक दस्तावेज में उपबंधों और उनके निहितार्थों की व्याख्या दी जाती है।

ञ. परिणाम बजट

वित्त वर्ष 2007-2008 से, निष्पादन बजट और परिणाम बजट जिन्हें अब तक मंत्रालयों/विभागों द्वारा संसद को अलग-अलग प्रस्तुत किया जाता था, को मिला दिया गया है और प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा इन्हें उनके द्वारा नियंत्रित मांगों/विनियोगों के संबंध में, 'परिणाम बजट' नामक एकल दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त वर्ष 2017-18 से, सभी मंत्रालयों के परिणाम बजट को एकल दस्तावेज के रूप में मिला दिया गया है और इसे नीति आयोग के सहयोग से वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। इस वित्त वर्ष से विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के उत्पादन एवं परिणाम उनके सामने दिए गए मापक संसूचकों और वित्त वर्ष 2019-20 के विनिर्दिष्ट लक्ष्यों के साथ स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जाएंगे।